बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6ए / वि02–1022 / 2017 (भाग–II) - 16 (अ0) पटना, दिनांक- 25/4/26

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषयः– वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब–मिशन) के अंतर्गत फ्लोराईड प्रभावित टोलों (300 टोलों) में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजना के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु राज्यांश मद से ₹20.88472 लाख रूपये (बीस लाख अठासी हजार चार सौ बहत्तर रूपये) मात्र की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब–मिशन)** अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में फ्लोराईड प्रभावित 300 टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं पांच वर्षों के लिए रख–रखाव एवं परिचालन हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक–6ए0 / वि02–1022 / 17–1463 दिनांक–15.06.17 के द्वारा कुल रू0 15372.353 लाख (एक सौ तिरपन करोड़ बहत्तर लाख पैंतीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गयाजी के द्वारा अधियाचना की गयी है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में उक्त प्रमंडल के अंतर्गत फ्लोराईड प्रभावित टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट के साथ पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गयाजी को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता में **NRDWP** के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से निम्न **तालिका** के अनुसार **₹20.88472 लाख रूपये (बीस लाख अठासी हजार चार सौ बहत्तर रूपये) मात्र** की राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	पत्रांक / दिनांक	राज्यांश मद की राशि	राज्यांश मद में अबतक विमुक्त राशि	विमुक्त राशि (लाख रूपये में)			
					सामान्य	अनु0 जाति	कुल	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गयाजी	701/ 14.02.26	1416.005	808.02099	17.00	3.88472	20.88472	बीस लाख अठासी हजार चार सौ बहत्तर रूपये मात्र।

अनुरोध है कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गयाजी को उक्त राशि **राज्यांश मद** में पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 24/04/26

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक–6ए/वि02–1022/2017 (भाग–II) – 16 (अनु0) पटना, दिनांक– 25/4/12

1.प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता,लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत **राज्यांश मद में** पी0एल0 खाता के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2. प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि–सचिव के आप्त प्रधान सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र–पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/कार्यपालक अभियंता (मो0--2)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या–10 एवं 2/आई0टी0, मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी–6/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी--6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0स्वा0अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/04/16

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)